न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट, हरदोई।

विशेष परिवाद संख्या– 358/2018

सीताराम बनाम नरेश यादव आदि

दिनांक 04.09.2018

पत्रावली पेश हुई।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी ने अपने परिवादपत्र में उल्लेख किया है कि वह वृद्ध, गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। प्रार्थी का खेत गांव के शिवराम व चेतराम बटाई पर करते हैं। प्रार्थी का लड़का नेकराम काफी समय से दिल्ली में रहता है। प्रार्थी के गांव के नित्तर पाल यादव, नरेश यादव, मिस्टर यादव, सुरेश यादव एवं इंस्पेक्टर आदि आये दिन प्रार्थी के बटाईदारों को खेत में जोतने बोने से मना करते रहते है तथा जबरदस्ती खेती व मकान पर कब्जा करने की गांव में एलानियां धमकी देते रहते हैं। दिनांक 10.06.2016 को समय सुबह 8 बजे भूमि नं. 1389 एवं 1218 स्थित ग्राम अंटवा, मजरा अन्धर्रा में बटाईदार शिवराम व चेतराम खेत की जुताई कर रहे थे, तब उपरोक्त पांचों लोग खेत पर नाजायज असलहें लेकर आए और खेत जोतने से मना किया और कहा कि दोबारा खेत पर मत दिखाई देना, अब साले चमड़ों को गांव में घुसने नहीं देंगे। सीताराम की पूरी खेती पर हमारा कब्जा होगा। अब हमारी सरकार है। सीताराम या उनके परिवार का कोई खेत पर दिखाई दिया तो गोली मार देंगें। प्रार्थी के बटाईदारों को वहां से भगा दिया। प्रार्थी घटना के दूसरे दिन गांव गया तथा बटाईदारों ने पूरी घटना बताई, तब प्रार्थी थाना सुरसा गया तथा उच्चाधिकारियों को प्रार्थनापत्र दिये, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस घटना से पूर्व दिनांक 02.10.2003 को सुबह 8 बजे अभियुक्तगण ने घर में घुसकर मारपीट की और जाति सूचक गालियां देकर अपमानित किया था, जिसका मु.अ.सं. 2552/2004 धारा 323, 325, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(10) एस.सी./एस.टी. ऐक्ट थाना सुरसा में लिखा गया था, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

परिवादी का बयान अंतर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत गवाह चेतराम का बयान अंतर्गत धारा 202 दं.प्र.सं. अंकित किया गया।

परिवादी ने अपने बयान अंतर्गत धारा–200 दं.प्र.सं. में अपने परिवादपत्र में किये गये कथनों का समर्थन करते हुए कथन किया है कि घटना दि. 10.06.2016 को समय 8 बजे दिन की है। वह चमार जाति का व्यक्ति है। उसका खेत शिवराम व चेतराम बंटाई पर करते हैं। उसका लड़का नेकराम काफी समय से दिल्ली में रहता है। उसका खेत गांव के नित्तरपाल, नरेश यादव, मिस्टर यादव, सुरेश यादव, इंस्पेक्टर यादव आए दिन बटाईदारों को खेत में जोतने बोने से मना करते रहते हैं तथा जबरदस्ती खेत व मकान पर कब्जा करने की गांव में ऐलानिया धमकी देते हैं। दिनांक 10.06.2016 को समय 8 बजे दिन भूमि नं0 1389 एवं 1218 ग्राम अंटवा मजरा अंधर्रा में बटाईदार शिवराम व चेतराम खेत की जुताई कर रहे थे, तब उपरोक्त पांचों लोग खेत पर नाजायज असलहे लेकर आये और खेत जोतने से मना किया और कहा कि दोबारा खेत पर दिखाई मत देना। अब चमरहों को गांव में घुसने नहीं देंगे। सीताराम की पूरी खेती व

मकान पर मेरा कब्जा होगा, सरकार हमारी है। सीताराम व उनके घरवाले यदि खेत पर दिखाई दिए तो गोली मार देंगे और बटाईदारों को वहां से भगा दिया। प्रार्थी जब दूसरे दिन गांव गया तब बटाईदारों ने पूरी घटना बताई।

परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.–1 चेतराम, जिसे परिवादी ने अपना बटाईदार बताया है, के द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा–202 दं.प्र.सं. में कथन किया गया है कि वह सीताराम को जानता व पहचानता है। वह तथा उसके गांव के शिवराम, सीताराम के दो खेत बटाई पर करते हैं। दोनों खेत सीताराम के लड़के नेकराम के नाम हैं। नेकराम अधिकतर दिल्ली में रहता है। दिनांक 10.06.2016 को सुबह 8 बजे जब वह तथा शिवराम, सीताराम के खेत सुरेन्द्र यादव के ट्रैक्टर से जुतवा रहे थे, उसी समय गांव के नरेश यादव, मिस्टर यादव, सुरेश यादव, इंस्पेक्टर यादव व नित्तर यादव नाजायज असलहे लेकर खेत पर आए और खेत जुतवाने से मना किया और कहा कि दुबारा खेत पर मत दिखाई देना अब साले चमड़ो को गांव में घुसने नहीं देंगे। सीताराम या उनके परिवार का कोई भी खेत पर दिखाई दिया तो गोली मार देंगें। सीताराम की पूरी खेती पर अब हमारा कब्जा होगा, अब हमारी सरकार है। उसे व शिवराम को खेत पर से भगा दिया। दूसरे दिन सीताराम जब गांव में आये तो उसने उनको बताया।

परिवादी के बयान अंतर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. में किये गये कथनों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि परिवादी के कथनों में किसी प्रकार का कोई असंभावी अथवा अप्राकृतिक कथन नहीं है। परिवादी के द्वारा स्पष्ट रूप से विपक्षीगण पर आरोप लगाया गया है कि जब उसके बटाईदार उसका खेत जुतवा रहे थे तो विपक्षीगण ने खेत पर आकर उनको धमकाकर भगा दिया और वादी को जाति सूचक शब्द साले चमड़े कहकर अपमानित किया तथा उसे जान से मारने की धमकी भी दी। परिवादी के कथनों का समर्थन स्वतंत्र गवाह चेतराम ने अपने बयान अंतर्गत धारा 202 दं.प्र.सं. में किया है। परिवादी द्वारा उसके साथ हुए अपराध के सम्बंध में संबंधित थाने जाकर सूचना दी गयी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तत्पश्चात परिवादी द्वारा पुलिस अधीक्षक, हरदोई के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र दिया गया, इसपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब परिवादी ने यह परिवादपत्र प्रस्तुत किया है। परिवादी के कथनों का खण्डन करने हेतु इस समय पत्रावली पर कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस स्तर पर परिवादी के कथनों को असत्य मानने का कोई आधार नहीं है। परिवादी व परिवादी के गवाह के बयानों के मूल्यांकन से प्रथम दृष्टया इस स्तर पर यह पाया जाता है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा–143, 506 भा.द.सं. एवं धारा 3(1)आर अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि. का मामला बनता प्रतीत होता है, जिसके लिए अभियुक्तगण विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण नरेश यादव, मिस्टर यादव, नित्तर यादव, इंस्पेक्टर यादव एवं सुरेश को धारा 143, 506 भा.द.सं. एवं धारा 3(1)आर अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादी पैरवी तीन दिन के अंदर करते हुए गवाहों की लिस्ट दाखिल करे, साथ ही अभियुक्तगण के समन के साथ परिवादपत्र की प्रतियां भी दाखिल करे। अभियुक्तगण के विरूद्ध समन कार्यालय लिपिक जारी करना सुनिश्चित करे।

पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांक 26.10.2018 को पेश हो।

(जय प्रकाश पाण्डेय)
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.
(पी.ए.) एक्ट हरदोई।
04.09.2018